कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

email- jdajodhpur/yahoo com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2023/ 1328 दिनांकः– 20/09/2023

–: कार्यवाही विवरण :–

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना कमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 05.09.2023 को उपायुक्त (जोन–02) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुईं, बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार हैः–

एजेण्डा संख्या	विषय
01.	**राजस्व ग्राम ढण्ढ के खसरा संख्या 29 रकबा 3654.41 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।**

निर्णयः– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श आवेदित योजना मानचित्र में प्रस्तुत सर्वे/ले–आउट प्लान को मास्टर प्लान में भूमि का उपयोग आवासीय होने के कारण अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया –

1. उक्त ले–आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृति नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा एयरफोर्स द्वारा जारी सीसीजेडएम के अनुसार नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
2. ले–आउट प्लान की समस्त सडकों का मार्गाधिकार राज्य सरकार के आदेशों की पालना में न्यूनतम 30 फीट रखा गया है।
3. प्रस्तावित भूमि से सम्बधित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जारी आदेशों की पालना में 70:30 के नियम की पालना की गई है।

एजेण्डा संख्या	विषय
02.	**राजस्व ग्राम कुड़ी भगतासनी के खसरा संख्या 35, 41, 42, 43 रकबा 64.06 बीघा के ले–आउट प्लान में संशोधन बाबत्।**

निर्णयः– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा प्रकरण में राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 35, 41, 42, 43 रकबा 64.06 बीघा के वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा पूर्व में अनुमोदित ले–आउट प्लान में दर्शित भूखंड सं. 213 के सम्मुख 30 फीट सड़क को निरंतर करते हुए भूखण्ड सं. 213 का माप 30′ X 90′ के स्थान पर दस्तावेज व मौकानुसार 30′ X 60′ अकिंत करते हुए ले–आउट प्लान संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त संशोधन का इन्द्राज मूल ले–आउट प्लान में कर पट्टा जारी किया जावें।

एजेण्डा संख्या	विषय
03.	**राजस्व ग्राम झालामंड के खसरा संख्या 15 रकबा 55252.83 वर्गगज के ले–आउट प्लान में संशोधन बाबत्।**

निर्णयः– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा प्रकरण में राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 15 रकबा 55252.83 वर्गगज के पूर्व में अनुमोदित प्लान में दर्शित भूखंड सं. 1682, 1683, 1684 एवं 1680, 1681 के मध्य ले–आउट प्लान में दर्शित 18 फीट रास्ते को 30 फीट करते हुए ले–आउट प्लान संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त संशोधन का इन्द्राज मूल ले–आउट प्लान में कर पट्टा जारी किया जावें।

क्रमांक: F3
दिनांक:
प्रति

एजेण्डा संख्या	विषय
04.	राजस्व ग्राम झालामंड के खसरा संख्या 244, 244/1, 244/2 रकबा 57399.84 वर्गगज के ले–आउट प्लान में संशोधन बाबत्।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श आवेदित राजस्व ग्राम झालामंड के खसरा संख्या 244, 244/1, 244/2 रकबा 57399.84 वर्गगज के दिनांक 02.09.2013 को ZLC में अनुमोदित मानचित्र में इन्फॉर्मल मार्केट हेतु आरक्षित ब्लॉक में (40X88') आवेदक द्वारा प्रस्तावित SubPlan का ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त SubPlan मूल अनुमोदित योजना का अभिन्न अंग रहेगा तथा गार्ड पत्रावली में उसी के साथ संलग्न रहेगा।

एजेण्डा संख्या	विषय
05.	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 135, 135/1 के अनुमोदित प्लान में संशोधन व अन्य निर्णय।

निर्णयः– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श कर पूर्व में राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 135, 135/1 के अनुमोदित ले–आउट प्लान में अंकित सुपरइम्पोज के बिन्दु संख्या 'ई' के समीप स्थित भूखण्ड संख्या 46 के जगह 56 तथा बिन्दु संख्या 'के' के समीप स्थित भूखण्ड संख्या 42, 42 की जगह क्रमशः 40, 40–ए अंकित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या	विषय
06.	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 135 ,135/1 एवं राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नं. 789, 790 व 806 के अनुमोदित प्लान के संबंध में।

निर्णय :– पूर्व में अनुमोदित ले–आउट प्लान यथा–ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 135/1, 135 राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नं. 789, 790 व 806 के अनुमोदित प्लान एवं अन्य में कुछ भूखण्डों की साईज त्रुटिवश मौका व दस्तावेजों से आंशिक कम या अधिक (कुछ इन्च) अंकित है, उक्त प्रकरणों में क्षेत्रविश्लेषण में अन्तर न आने की सुनिश्चितता के उपरान्त मौका रिपोर्ट में अंकित भूखण्डों की साईज को अंतिम (दस्तावेज से अधिक न हो) मानते हुए पट्टा विलेख जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय केवल 12 इंच के अंतर तक ही मान्य होगा।

एजेण्डा संख्या	विषय
07.	राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 121 रकबा 12.15.00 बीघा के पूर्व में अनुमोदित ले–आउट प्लान में संशोधन बाबत्।

निर्णयः– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श कर पूर्व में राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 121 के अनुमोदित ले–आउट प्लान में भूखण्ड संख्या 53 के उत्तर दिशा में अंकित चार भूखण्डों पर त्रुटिवश भूखण्ड संख्या 3 अंकित हो गया जिनके स्थान पर मौका व दस्तावेज के अनुसार भूखण्ड संख्या 49, 50, 51 व 52 अंकित करने का निर्णय लिया गया।

तहसीलदार जोधपुर विकास प्राधिकरण	अधिशाषी अभियन्ता जोधपुर विकास प्राधिकरण	सहायक नगर नियोजक जोधपुर विकास प्राधिकरण	उपायुक्त (जोन–02) जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2023/ 1329-34
दिनांकः–

दिनांक :- 20/09/2023

प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त (जोन–02,)जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशाषी अभियन्ता, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार, जो.वि.प्रा., जोधपुर

सहायक नगर नियोजक
एवं सदस्य सचिव,
जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर